

15/4/21

प्राथी स्व वकील प्राथी उप. नहीं। बार-2
आवाज दिलाई गई। किन्तु कोई उपस्थित
नहीं आया। चूंकि दावावादी जन अदम हाजिरी
स्व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है
अतः प्रा. पुत्र सारहीन होने के कारण
खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी
T.I. खारिज की जाती है। पत्रावली
दाखिल दफ्तर हो

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)